c53

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 5(223) /निपेवि/~~मीसी~~ नियम/95/पार्ट 918-922-H दिनांकः- 18/2/16

अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर,बीकानेर,जोधपुर,
उदयपुर,भरतपुर, जयपुर एवं कोटा।

विषयः– राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अन्तर्गत विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रियों को जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान समसंख्यक पत्र दिनांक 16.01.2013, 25.03.2015, 15.07.2015 एवं पत्र क्रमांक पी.आर–3/एफ. 565/के 277/1965–66/95304,5,9,13,16–28 सी दिनांक 21.01.2016 की ओर आकर्षित किया जाता है। इनके अनुसार दिनांक 04.09.2012 से पेंशनर की विधवा/तलाकशुदा पुत्री को जीवन पर्यन्त पारिवारिक पेंशन अधिकृत की जानी है। यह बताया गया है कि पेंशनर एवं उसकी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त इस श्रेणी में आने वाली पुत्रीयो के कुछ प्रकरण लौटाये गये है। अतः निर्देशित किया जाता है कि लौटाये गये प्रकरण वापस मंगवाये जावे तथा परीक्षण कर निस्तारित किये जावे।

भवदीय

(के.के.गैडियोक)
निदेशक